

दिनांक-02.09.2023 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून, की अध्यक्षता में पूर्व में जारी एस0ओ0आर0 2022-23 के कतिपय मदों में पुनरीक्षण/आवश्यक संशोधन हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून की अध्यक्षता में वर्ष 2022-23 में जारी एस0ओ0आर0 के कुछ मदों के पुनरीक्षण हेतु समीक्षा बैठक दिनांक-02.09.2023 को पूर्वान्ह 1.00 बजे प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. इं0 दयानन्द मुख्य अभियन्ता, (नियोजन) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय
2. इं0 एन0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
3. इं0 अशोक कुमार मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा। (VC के माध्यम से)
4. इं0 जी0सी0आर्य, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 हल्द्वानी। (VC के माध्यम से)
5. इं0 राजेश शर्मा, मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी। (VC के माध्यम से)
6. इं0 अनिल पांगती, अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
7. इं0 ओमपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. इं0 श्रीपति डोभाल, अधिशासी अभियन्ता, आर0डब्लू0डी0, कार्यालय।
9. इं0 बी0वी0 ढौडियाल, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) आर0डब्लू0डी0, कार्यालय।
10. इं0 संजय पन्त, अधिशासी अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
11. इं0 शैलेन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
12. इं0 मनोज पंवार, सहायक अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

संलग्न उपस्थिति सूची के अनुसार समिति के सदस्यों के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उपस्थित एस0ओ0आर0 समिति के सदस्यों एवं सभी विभागीय अधिकारियों का स्वागत किया गया।

उक्त बैठक में एस0ओ0आर0 2022-23 के पुनरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण विभाग अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2200/।।।(2)/22-17(सामान्य)2008 देहरादून, दिनांक-17 जून 2022 द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं व अन्य विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1007/10अधिप्राप्ति-प्रकीर्ण/2022 दिनांक-03.10.2022 द्वारा जारी एस0ओ0आर0 के कतिपय मदों में विसंगति होने के कारण उनके पुनरीक्षण हेतु निम्नवत विस्तृत चर्चा की गयी।

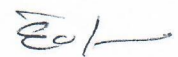
1. S.O.R :- Miscellaneous के Chapter 3- Bituminous Work में Premix Carpet हेतु मद संख्या 3-2 को Delete करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।
2. S.O.R :- Miscellaneous के Chapter 2-Concrete and concrete Pavement में Cement plum Masonry के मद संख्या 2-1 के Analysis में Stone for Random Rubble Masonry की मात्रा वर्तमान मात्रा 0.67 cum के स्थान पर प्रस्तावित 0.40 cum रखे जाने पर मत भिन्नता थी। अतः समिति द्वारा Stone की मात्रा की study कराये जाने का निर्णय लिया गया। अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून के द्वारा

Stone की मात्रा के सम्बन्ध में Experimental study करायी जायेगी, जिसमें सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड से भी सुझाव प्राप्त किया जायेगा। Experimental study के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो Stone/concrete की मात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव अगामी बैठकों में रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त Form Work Charges को calculation में 4% किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

3. S.O.R :- Miscellaneous के Chapter 4-Bridge work में Erection of steel truss (Girder) Bridge के मद संख्या 4-2 में Sub Item A-Earthwork in Excavation for main tower, plum concrete work, RCC M-25, B-Steel Reinforcement एवं C-Built up Steel columns के मदों में दरें बिना Contractors Profit including overhead @ 12.5% तथा Labour cess @ 1% के लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जिससे sub item A, B, एवं C की दरों में Contractors Profit including overhead एवं Labour Cess की double loading नहीं होने पाये।

4. Standard Data Book 2019 की Excel Soft Copy उपलब्ध हो जाने के कारण समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी, के द्वारा S.O.R. के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये। समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि जिन मदों में परिवर्तन अपेक्षित है उन मदों का मुख्य अभियन्ता विधिवत प्रस्ताव प्रेषित करें, जिस पर आगामी बैठकों में रखे जाने पर विचार किया जा सके।



(इं0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक- ६३५/10अधिप्राप्ति/23

दिनांक-08.09.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
8. मुख्य अभियन्ता रा0मा0/ए0डी0बी0/बल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
9. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आ0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।

14. प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
15. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
16. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0/यॉ0 लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड । अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. समस्त वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
18. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
20. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष